# राजस्थान सरकार
# खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग

क्रमांकः– एफ 33(1) खा.वि/प्रोक्यो/आरएमएस/2026–27 जयपुर, हस्ताक्षरित दिनांक

## *न्यूनतम समर्थन मूल्य पर गेहूँ खरीद हेतु किसान पंजीकरण सम्बन्धी दिशा–निर्देश*

राज्य में रबी विपणन सीजन (आरएमएस) 2026–27 के दौरान न्यूनतम समर्थन मूल्य पर गेहूँ खरीद का कार्य दिनांक 10 मार्च, 2026 से 30 जून, 2026 तक किया जावेगा। भारत सरकार के निर्देशानुसार राज्य में न्यूनतम समर्थन मूल्य पर गेहूँ खरीद का कार्य ऑनलाइन माध्यम से किया जावेगा एवं इस हेतु राज्य सरकार द्वारा ऑनलाइन पोर्टल विकसित किया गया है। उक्त पोर्टल का लिंक खाद्य विभाग की वेबसाइट (https://food.rajasthan.gov.in) पर "गेहूँ खरीद हेतु किसान रजिस्ट्रेशन" नाम से उपलब्ध है। गेहूँ खरीद हेतु स्थापित किये गए क्रय केन्द्रों की जानकारी विभागीय वेबसाइट पर उपलब्ध है। उक्त सूची में किये जाने वाले संशोधन की नवीनतम जानकारी भी पृथक से विभागीय वेबसाइट पर अद्यतन की जावेगी।

**1. पंजीयन व्यवस्था**

राज्य के किसान गेहूँ विक्रय हेतु ***दिनांक 01.02.2026 से 25.06.2026 तक प्रतिदिन 24 घण्टे (किसी भी समय) पंजीयन*** कर सकेंगें। किसान द्वारा स्वयं अथवा ई–मित्र के माध्यम से पोर्टल पर पंजीकरण करवाया जा सकेगा।

**2. पंजीयन हेतु आवश्यक दस्तावेज**

- पंजीकरण के समय निम्न दस्तावेज आवश्यक होंगे :–

(i) **पहचान संबंधी दस्तावेज :–**

- पंजीकरण के लिए जनआधार कार्ड अनिवार्य है। किसान के जनआधार कार्ड में दर्ज परिवार के एक या एक से अधिक सदस्यों (जिनके नाम से गिरदावरी है) द्वारा OTP के माध्यम से पोर्टल पर पंजीकरण कराया जा सकता है।
- अतः किसान पंजीकरण से पूर्व जनाधार में जानकारी को अद्यतन कराया जाना सुनिश्चित करें।

(ii) **फसल सम्बन्धी दस्तावेज :–**

- ऑनलाइन गिरदावरी को ही न्यूनतम समर्थन मूल्य पर गेहूँ खरीद हेतु अधिकृत माना जायेगा।
- पंजीकरण के समय पोर्टल पर किसान की गिरदावरी भू–प्रबंधन विभाग के रिकॉर्ड से auto-fetch की जायेगी। चूँकि पंजीकरण प्रक्रिया जल्द प्रारम्भ की जा रही है, अतः सम्भावना है कि पंजीकरण के समय गिरदावरी auto-fetch हेतु उपलब्ध नहीं हो पाए। ऐसी स्थिति में पोर्टल में यह प्रावधान किया गया है कि बिना गिरदावरी के भी किसान का पंजीकरण हो सके। जैसे ही ऑनलाइन गिरदावरी भू–प्रबंधन विभाग द्वारा उपलब्ध करवाई जाएगी, खरीद पोर्टल द्वारा auto-fetch कर ली जाएगी।
- *पोर्टल द्वारा उक्तानुसार उपलब्ध किसान की नवीनतम गिरदावरी अनुसार उसकी वास्तविक उपज की मात्रा का आंकलन किया जावेगा एवं किसान द्वारा उतनी ही मात्रा का समर्थन मूल्य पर बेचान किया जा सकेगा*।
- ऐसी तहसील / गाँव जहाँ राजस्व / भू–प्रबंधन विभाग द्वारा आदिनांक तक गिरदावरी का कार्य ऑनलाइन नहीं किया गया है, केवल उन क्षेत्रों के पंजीकृत किसानों की ऑफलाइन गिरदावरी (जो कि सम्बंधित तहसीलदार अथवा पटवारी द्वारा प्रमाणित हो) को ही पोर्टल पर अपलोड करने का प्रावधान उपलब्ध कराया जाकर खरीद की जाएगी।

Signature valid

Digitally signed by Poonam Prasad Sagar
Designation : Additional Commissioner
Date: 2026.02.03 2[illegible]:31:41 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No.: 20246001

(iii)**भूमि सम्बन्धी दस्तावेजः–**

- पंजीकरण के समय पोर्टल पर किसान की भूमि का विवरण राजस्व विभाग के रिकॉर्ड से auto-fetch किया जायेगा।
- यदि किसान भूमि मालिक है तो उसके द्वारा स्वयं ही राजस्व विभाग के रिकॉर्ड अनुसार भूमि की जानकारी पोर्टल में इन्द्राज की जा सकेगी।
- यदि किसान स्वयं भूमि मालिक नहीं है तथा वारिस है, तो उसके द्वारा इस संबंध में पटवारी द्वारा प्रमाणित सर्टिफिकेट की प्रति (PDF फॉर्मेट में जिसका अधिकतम साइज़ 500 kb हो) पोर्टल पर अपलोड की जानी आवश्यक होगी।
- यदि किसान बटाईदार है, तो उसके द्वारा भूमि मालिक का जन आधार / आधार एवं बटाईदारी के संबंध में निष्पादित अनुबंध अथवा स्वघोषणा पत्र की स्वहस्ताक्षरित प्रति (PDF फॉर्मेट में जिसका अधिकतम साइज़ 500 kb हो) पोर्टल पर अपलोड करना आवश्यक होगा।
- मंदिर माफी की जमीन पर खेती बटाई पर करने की स्थिति में भी किसान द्वारा समर्थन मूल्य पर उसकी उपज का बेचान किया जा सकता है। इस संबंध में मंदिर समिति/कार्यकारिणी समिति के अध्यक्ष का जनाधार नम्बर पंजीकरण हेतु दर्ज किया जा सकता है।

**3. पंजीकरण प्रक्रिया**

- किसान पंजीकरण प्रक्रिया की जानकारी पोर्टल पर उपलब्ध है।
- किसान को उसके सफल पंजीकरण के सम्बन्ध में एस.एम.एस. द्वारा सूचित किया जाएगा।
- पंजीकृत किसान तुलाई की दिनांक आवंटित होने से पूर्व तक पंजीकरण जानकारी में संशोधन कर सकेंगे। तत्पश्चात कोई भी संशोधन नहीं किया जा सकेगा।

**4. तुलाई की दिनांक**

- पंजीकृत किसान स्वयं 01 मार्च से पोर्टल अथवा मोबाइल एप के माध्यम से गेहूँ बेचान हेतु स्लॉट की बुकिंग कर सकेंगे। स्लॉट बुकिंग प्रक्रिया की विस्तृत जानकारी शीघ्र ही पोर्टल पर उपलब्ध कराई जाएगी।
- किसान द्वारा स्वयं गेहूँ तुलाई हेतु स्लॉट की बुकिंग नहीं करने की स्थिति में पोर्टल द्वारा वरीयता के आधार पर तुलाई की दिनांक का आवंटन कर दिया जाएगा। यदि किसान आवंटित तुलाई दिनांक से भिन्न दिनांक चाहता है, तो वह नवीन दिनांक के लिए पुनः आवेदन कर सकता है।
- तुलाई दिनांक का आवंटन क्रय केन्द्र की प्रतिदिन क्रय क्षमता के अनुरूप किया जावेगा।
- किसान को तुलाई दिनांक की जानकारी के सम्बन्ध में एस.एम.एस. द्वारा सूचित किया जाएगा।

**5. फसल बेचान प्रक्रिया**

- आवंटित तुलाई दिनांक पर फसल बेचान हेतु क्रय केन्द्र पर जनाधार कार्ड तथा स्वयं भूमि मालिक नहीं होने की स्थिति में, पोर्टल पर अपलोड किये गए भूमि सम्बंधित दस्तावेजों की मूल प्रति लाई जानी आवश्यक है।
- किसान के क्रय केन्द्र पर आगमन होते ही, उसकी फोटो सहित जानकारी (किसान का नाम, आगमन की दिनांक व समय, उसके द्वारा विक्रय हेतु लायी गयी मात्रा आदि) खरीद पोर्टल पर दर्ज की जायेगी।

Signature valid

Digitally signed by Poonam Prasad Sagar
Designation : Additional Commissioner
Date: 2026.02.03 2?:31:41 IST
Reason: Approved

- **अनिवार्य बायोमेट्रिक सत्यापन** – भारत सरकार द्वारा प्रदत्त निर्देशानुसार न्यूनतम समर्थन मूल्य पर गेहूँ खरीद कार्य बायोमेट्रिक माध्यम से किया जाना है। उक्त क्रम में आरएमएस 2026–27 से गेहूँ फसल बेचान हेतु क्रय केंद्र पर उपस्थित होकर पंजीकृत किसान द्वारा स्वयं अथवा उसके जनाधार में अंकित परिवार के अन्य सदस्य द्वारा बायोमेट्रिक माध्यम से उपस्थिति दर्ज कराने के उपरांत, उसकी उपज का समर्थन मूल्य पर विक्रय किया जा सकेगा।

**6. किसान को भुगतान**

- भुगतान पंजीकृत किसान को न्यूनतम समर्थन मूल्य का 48 घण्टों में उसके जनाधार से जुडे हुए बैंक खातें में प्राप्त होगा।
- बैंक के नाम, खाता संख्या व आईएफएससी कोड में विसंगति, बैंक खाता इनएक्टिव होने आदि की स्थिति में किसान को भुगतान संभव नहीं होगा, जिसको दुरस्त करवाने की जिम्मेदारी किसान की होगी।

**7. ऑनलाइन पंजीकरण में समस्याओं के निराकरण के सम्बन्ध में**

कृषक पंजीकरण व अन्य उपार्जन सम्बन्धी कार्यों की जानकारी के लिए कार्य दिवस के दौरान प्रातः 10.00 बजे से सांय 05.00 बजे तक टोल–फ्री उपभोक्ता हेल्पलाइन नंबर 14435 से अथवा ईमेल rajasthanmsp@gmail.com पर जानकारी प्राप्त कर सकेंगे।

यह सक्षम स्तर से अनुमोदित है।

(पूनम प्रसाद सागर)
अतिरिक्त खाद्य आयुक्त

**प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–**

1. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, माननीय मुख्यमंत्री, राजस्थान, जयपुर।
2. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग, राजस्थान, जयपुर।
3. संयुक्त सचिव, मुख्य सचिव, शासन सचिवालय, राजस्थान, जयपुर।
4. उप सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, कृषि/वित्त/राजस्व विभाग, राज0, जयपुर।
5. निजी सचिव, शासन सचिव, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग राजस्थान, जयपुर।
6. समस्त जिला कलेक्टर, राज0।
7. निदेशक, कृषि विपणन विभाग/बोर्ड, जयपुर।
8. प्रबंध निदेशक, राजस्थान राज्य खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति निगम लि. जयपुर।
9. प्रबंध निदेशक, राजफैड/तिलम संघ, राज0, जयपुर।
10. वित्तीय सलाहकार, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग, राजस्थान, जयपुर।
11. महाप्रबंधक (क्षेत्र), भारतीय खाद्य निगम, राजस्थान, जयपुर।
12. निदेशक, NIC, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग, जयपुर।
13. एनालिस्ट कम प्रोग्रामर, खाद्य विभाग, राजस्थान, जयपुर को भेजकर लेख है कि उक्त दिशा–निर्देश विभागीय वेबसाइट पर अपलोड किया जाना सुनिश्चित करें।
14. जनसंपर्क अधिकारी, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग, राजस्थान, जयपुर।
15. राज्य प्रमुख, नाफेड/NCCF, जयपुर।
16. समस्त जिला रसद अधिकारी।

Signature valid

Digitally signed by Poonam Prasad Sagar
Designation : Additional Commissioner
Date: 2026.02.03 2?:31:41 IST
Reason: Approved